फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत SDO मुकाम बीलाड़ा

गणेश सिंह बनाम रामू सिंह

किस्म मुकद्दमा 88 RT Act नं. 8/21/18 सन्

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
25/6/18	राजस्व लोक अदालत अभियान न्याय आपके द्वार 2018 के तहत कैम्प कोर्ट केवलपुरा पर प्रार्थी द्वारा इस आशय का वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88 आर. टी. एक्ट के तहत पेश किया कि गणेश सिंह भैरमणा लालसिंह भैरमणा रामूसिंह भैरमणा मोतणी पत्नी स्व. भैरा R/o कालीमीठ तह. बीलाड़ा द्वारा धारा 88 के तहत नाम छुड़वाने बाबत प्रार्थना, पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर वादी एवं प्रतिवादी को सुना गया। प्रतिवादी द्वारा कोई आपत्ति दर्ज नहीं कराई गई। अतः वाद वादी स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि मौजा कालीमीठ के खाता 98.99 157, 0.05 है. [illegible] वादी प्रतिवादी के साझा खातेदारी दर्ज किये जाने की कार्यवाही किये जावे।	

इसी अनुसार डिक्री जारी की जाकर पालना हेतु तहसीलदार बडीसादड़ी को लिखा जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(जितेन्द्र कुमार पाण्डे)
RAS
पीठासीन अधिकारी, लोक अदालत
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलेक्टर
बड़ीसादड़ी (राज.)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बड़ीसादड़ी
सत्यमेव जयते

Web Copy - Not Official